



संख्या-88/2026/775/सैंतीस-2-2026/001-1(9)/2019-1371514

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-13 अप्रैल, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-14/बजट/29(5)/30/14/2026-27, दिनांक-07.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-03-राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र के निम्नलिखित मानक मदों में कुल ₹0-7313.50 लाख (रूपये तिहत्तर करोड़ तेरह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
01-वेतन	2669.30
02-मजदूरी	617.00
03-मंहगाई भत्ता	1735.05
04-यात्रा व्यय	16.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.01
06-अन्य भत्ते	0.37
08-कार्यालय व्यय	107.48
09-विद्युत देय	166.06
10-जलकर/जलप्रभार	3.51
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	11.80
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	17.63
13-टेलीफोन पर व्यय	3.15
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	86.01
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	18.90
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	2.65
29-अनुरक्षण	65.19
39-औषधि तथा रसायन	38.50
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	0.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

42-अन्य व्यय	17.54
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1650.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10.74
49-चिकित्सा व्यय	14.00
51-वर्दी व्यय	0.22
55-मकान किराया भत्ता	53.49
योग-	7313.50

(रूपये तिहत्तर करोड़ तेरह लाख पचास हजार मात्र)

- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- जनपदीय अधिकारियों से प्राप्त मांगपत्र के आधार पर उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग द्वारा धनराशि के आवंटन हेतु प्रस्ताव विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।
- विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
- जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
- मानक मद 29-अनुरक्षण में स्वीकृत धनराशि का आहरण करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-26 अगस्त, 2014 के प्राविधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करा ली जायेगी।
- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 में दिये गये निर्देशानुसार निर्माण कार्य हेतु निर्मित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था का निर्धारण कराने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण कार्य हेतु किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

11. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षक: 2403001060300 (राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र)**

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	01 वेतन	26,69,30,000 (रुपये छब्बीस करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार मात्र)
2	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	02 मजदूरी	6,17,00,000 (रुपये छह करोड़ सत्रह लाख मात्र)
3	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	03 मंहगाई भत्ता	17,35,05,000 (रुपये सत्रह करोड़ पैंतीस लाख पाँच हजार मात्र)
4	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	04 यात्रा व्यय	16,00,000 (रुपये सोलह लाख मात्र)
5	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,01,000 (रुपये दो लाख एक हजार मात्र)
6	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	06 अन्य भत्ते	37,000 (रुपये सैंतीस हजार मात्र)
7	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	08 कार्यालय व्यय	1,07,48,000 (रुपये एक करोड़ सात लाख अड़तालीस हजार मात्र)
8	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	09 विद्युत देय	1,66,06,000 (रुपये एक करोड़ छियासठ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

				लाख छह हजार मात्र)
9	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	10 जलकर / जल प्रभार	3,51,000 (रुपये तीन लाख इक्कावन हजार मात्र)
10	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	11,80,000 (रुपये ग्यारह लाख अस्सी हजार मात्र)
11	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	17,63,000 (रुपये सत्रह लाख तिरेसठ हजार मात्र)
12	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	13 टेलीफोन पर व्यय	3,15,000 (रुपये तीन लाख पन्द्रह हजार मात्र)
13	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	86,01,000 (रुपये छियासी लाख एक हजार मात्र)
14	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	18,90,000 (रुपये अठारह लाख नब्बे हजार मात्र)
15	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	2,65,000 (रुपये दो लाख पैंसठ हजार मात्र)
16	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	29 अनुरक्षण	65,19,000 (रुपये पैंसठ लाख उन्नीस हजार मात्र)
17	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	39 औषधि तथा रसायन	38,50,000 (रुपये अड़तीस लाख पचास हजार मात्र)
18	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	40 औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
19	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	42 अन्य व्यय	17,54,000 (रुपये सत्रह लाख चौवन हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

				मात्र)
20	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	16,50,00,000 (रुपये सोलह करोड़ पचास लाख मात्र)
21	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
22	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
23	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,74,000 (रुपये दस लाख चौहत्तर हजार मात्र)
24	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	49 चिकित्सा व्यय	14,00,000 (रुपये चौदह लाख मात्र)
25	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	51 वर्दी व्यय	22,000 (रुपये बाईस हजार मात्र)
26	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	55 मकान किराया भत्ता	53,49,000 (रुपये तिरेपन लाख उनचास हजार मात्र)
	कुल			73,13,50,000 (रुपये तिहत्तर करोड़ तेरह लाख पचास हजार मात्र)

महायोग	73,13,50,000 (रुपये तिहत्तर करोड़ तेरह लाख पचास हजार मात्र)
---------------	---

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पू0सं0-88/2026/775(1)/सैंतीस-2-2026/001-1(9)/2019-1371514, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/नियोजन अनु०-3 ।
5. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।